"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2018—ज्येष्ठ 18, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिदेशक, छ.ग.प्रशासन अकादमी पदस्थ पर पदस्थ करता है.

श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से. द्वारा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), सचिव, छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी केवल महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

2. श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002), सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2004), अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005), संचालक, लोक शिक्षण को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. विभागीय आदेश क्र. एफ 2-04/2017/1-8, दिनांक 01-05-2018 द्वारा श्री विश्वेश कुमार, भा.व.से. (2007), वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार को उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश को निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2018

क्रमांक एफ-06-02/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, महानदी भवन, कक्ष क्रमांक एस. 03 मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 7 में, टीप के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"टीप.— वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस निम्नानुसार होगी :—

1.	विनिर्माता, व्यापारी एवं उपभोक्ता		रु. 2000/-
2	व्यापारी		
	(क)	भवन निर्माण ठेकेदार	रु. 1500/—
	(ख)	बढ़ई की दुकान, जो फर्नीचर के निर्माण में संबंद्ध है, जिसमें टर्नर, आर्टीसन सम्मिलित है.	रु. 500/-
	(ग)	अन्य व्यापारी	रु. 2000/-
3.	वास्तविक उपभोक्ता		रु. 25/-"

2. नियम 9 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(4) वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस निम्नानुसार होगी :—

स.क्र.	अपेक्षित वार्षिक विक्रय	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस
1.	10 घनमीटर	रु. 75/-
2.	10 से 50 घनमीटर	रु. 150/-
3.	50 से 100 घनमीटर	रु. 600/-
4.	100 घनमीटर से उपर	रु. 1200/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2018

क्रमांक एफ-06-02/2012/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06-02/2012/10-2, दिनांक 15-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 15th May 2018

No. F 06-02/2012/10-2.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kashta Niyam, 1973 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 21 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours in the office of the Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Forest Department, Mahanadi Bhawan, Room No. S-0-3, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 7, for the Note, the following shall be substituted, namely :—

"Note— Annual Registration Fee shall be as follows :—

1.	Manufacturer, Trader and Consumer		Rs. 2000/-
2.	Trader		
	(a)	House Construction Contractors	Rs. 1500/-
	(b)	Shop of Carpenter which include Turner, Artisans, who are involved in the manufacture of furniture.	Rs. 500/-
	(c)	Other Traders	Rs. 2000/-
3.	Real Consumer		Rs. 25/-"

2. For sub-rule (4) of rule 9, the following shall be substituted, namely :—

"(4) The annual registration fee shall be as under :—

S. No.	Expected Annual Sale	Annual Registration Fee
1.	10 cubic metres	Rs. 75/-
2.	10 to 50 cubic metres	Rs. 150/-
3.	50 to 100 cubic metres	Rs. 600/-
4.	Above 100 cubic metres	Rs. 1200/-"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 1-11/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अरूण कुमार द्विवेदी, भा.व.से. (1984) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नत करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक एफ 1-11/2016/10-भा.व.से.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29-05-2017 द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नत किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर दी गई पदोन्नति में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें दिनांक 01-08-2016 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद के अनुसार वेतनमान अनुसूची-III का वेतन मेट्रिक्स लेबल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) में नियमानुसार देय वेतन की पात्रता होगी.

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2018

क्रमांक एफ 1-02/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री आर.बी.पी. सिन्हा भा.व.से. (1986)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, मुख्यालय, रायपुर (सेवाएं प्रति-नियुक्ति पर सौंपते हुए).

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री के. मुरूगन, भा.व.से. (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एस.ई.सी.एल., बिलासपुर, मुख्यालय रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर (सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए).
3.	श्री युनूस अली, भा.व.से. (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.
4.	श्री जयसिंह म्हस्के, भा.व.से. (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता बोर्ड, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ नया रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.
5.	श्री तपेश कुमार झा, भा.व.से. (1989)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता बोर्ड, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2018

एफ 4-12/56/2017/इसूप्रौ.—राज्य शासन एतद्द्वारा ''छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना'' (स्काई) की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2017 की कंडिका 6.1 के कॉलम 2 में उल्लिखित ''तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी'' की पात्रता को निम्नानुसार सुस्पष्ट करता है :—

1. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को सितम्बर 2018 तक स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा.

2. शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को मार्च से मई 2019 के मध्य स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा.

3. एक विद्यार्थी को एक ही स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा.

उपरोक्त अधिसूचना की अन्य कंडिकाएं अपरिवर्तित होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-11-2014 द्वारा कुल 10 संस्थानों को 03 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त अधिमान्यता प्रदान की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 09-11-2017 को समाप्त हो गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित 07 संस्थानों की अधिमान्यता का नवीनीकरण, आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि में छूट प्रदान करते हुए उनकी अधिमान्यता दिनांक 10-11-2017 से आगामी 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जाती है :—

क्र.	एजेंसी का नाम एवं पता
1.	M/S SHREERAM GEMICON (PVT.) LIMITED, GEOLOGICAL AND MINING CONSULTANTS, L-09, Songanga Colony Seepat Road, Bilaspur (Chhattisgarh)
2.	M/S SINHA MINING CONSULTANTCY, Office No. 9, D. Costa Commercial Apartment, Near Old Railway Station Gate, Malbhat, Margo, Goa-403601.
3.	M/S SPATIAL PLANNING AND ANALYSIS RESEARCH CENTRE PVT LTD. E/11, Infocity, Chandaka Industrial Estate, Bhubaneswar, Orissa, 751024.
4.	M/S SIDDHARTH GEO CONSULTANTS, 621/3, First Floor Ramkund, Samta Colony, Behind Life-worth Hospital, Raipur (Chhattisgarh) 492001.
5.	MS/ SOHAM FERO MANGANESE PVT. LTD. Block No. 16,17 Ground Floor N.K.Y. Tower, Anjani Sq. Wardha Road, Nagpur (Maharashtra).
6.	M/S SAN SURVEY ENGINEERING, Regd. Off.- 465, Jiban Pal Bagan, Karbala (West), P.O. & Distt.-Hooghly, West Bengal, 712103 Contact Office-Anjali Complex, Bankim Kanan, Chinsurah Station Road, Chinsurah, Hoogly, West Bengal-712102.
7.	M/S BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED, p.o. Balco Nagar Korba (C.G.)

3. उपर्युक्त तालिका के सरल क्रमांक-01 से 06 में उल्लिखित कंपनियों/एजेंसियों की अधिमान्यता राज्य में खनिज कोयला को छोड़कर शेष खनिजों की खनिज रियायत संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य के लिये तथा सरल क्रमांक 7 में उल्लिखित मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की अधिमान्यता राज्य में स्थित स्वयं की खनिज रियायत संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य के लिये होगी.

उपर्युक्त प्रदत्त अधिमान्यता की शर्तें निम्नानुसार होगी :—

1. Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).
2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;
3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;
4. The pillar shall be of square pyramid frustum shaped above the surface and cuboids shaped below the surface;
5. Each pillars shall be of reinforced cement concrete;

6. The corner pillar shall have a base of 0.3m x 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

7. The intermediate pillars shall have a base of 0.25m x 0.25m and height of 1.0m. of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;

8. All pillars shall be painted in yellow color and the top ten centimeters in red color by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.

9. On all corner pillars, distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;

10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

11. The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boudary point shall be intersection of two diameters drawan at 90 degrees.

13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf.

14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and

15. In case of forest area within the lease, the size and construction and color of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.

16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.

17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84)Datum.

18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

4. यह अधिमान्यता दिनांक 10-11-2017 से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2018

क्रमांक एफ 7-46/2016/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 08-01-2018 द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना 2011 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

डोंगरगढ़ विकास योजना, 2011 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छिरपानी प.ह.नं.-30	71/1	4.52 एकड़	कृषि	आमोद-प्रमोद

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा एम्फीथिएटर (ओपर एयर थियेटर) के निर्माण हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण डोंगरगढ़ विकास योजना 2011 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2018

क्रमांक एफ 7-9/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 30-12-2017 द्वारा बलौदाबाजार विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

बलौदाबाजार विकास योजना, 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छुइहा मालगुजारी प.ह.नं.-8	801/1 शामिल 802/2	0.340 हेक्टेयर	कृषि, आवासीय	आवासीय, व्यवसायिक
2.	बलौदाबाजार	1171/3	0.121 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यवसायिक

2. उक्त उपांतरण विकास योजना में त्रुटि सुधार हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा बलौदाबाजार विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण बलौदाबाजार विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2018

क्रमांक एफ 7-12/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 12-10-2017 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना, 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बजरंगपुर नवागांव प.ह.नं.-21 रा.नि.मं.	123/1 क	5.868 हेक्टेयर में से 3.56 एकड़	आमोद-प्रमोद	आवासीय

2. उक्त उपांतरण शासकीय आवासों के प्रयोजन हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2018

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 9-16/2005/32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1002/एफ 9-16/2005 दिनांक 30-4-2005 द्वारा दुर्ग जिले के अंतर्गत साजा निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित की गई है, में पूर्व एवं उत्तर सीमा में ग्राम "गजरा" के स्थान पर ग्राम "कजरा" एवं दक्षिण सीमा में ग्राम "डोंगरीतराई" के स्थान पर ग्राम "डोंगीतराई" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक 1916/आर 692/22-1/2018.—महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एसओ-24, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 9 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर, निम्नलिखित व्यक्तियों, जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी से संबंधित न हो, को सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, अर्थात् :—

(क) संबंधित ग्राम पंचायत का पटेल (एक सदस्य);

(ख) गैर-सरकारी संगठन से (एक सदस्य);

(ग) स्व-सहायता समूह से (दो सदस्य जिसमें से एक महिला हो);

(घ) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी (एक सदस्य)."

2. नियम 10 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा निकासी बैठक का आयोजित करने हेतु एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से निम्न का नाम हो. उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :

(क) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (अध्यक्ष);

(ख) गैर-सरकारी संगठन से (एक सदस्य);

(ग) स्व-सहायता समूह से (दो सदस्य जिसमें से एक महिला हो);

(घ) अनुविभागीय अधिकारी (तकनीकी), जो संबंधित कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी से संबंधित न हो (एक सदस्य);

(ङ) द्वितीय श्रेणी सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी (एक सदस्य)."

(3) नियम 10 में, उप-नियम (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ग) सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विचलन के संबंध में ग्रामसभा/कार्यस्थल सत्यापन/घरेलू सर्वेक्षण में अभिलिखित साक्ष्य का परीक्षण कर, समिति, निकासी बैठक में प्रत्येक प्रकरण में आदेश पारित करेंगी."

No.1916/R 692/22-1/2018.—The following draft of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme-Chhattisgarh, Social Audit Rules, 2015, which the State Government, in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), proposed to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of Publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any Person before the specified period, in office hours in office of the Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. S 0-24, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said ruls,—

(1) In rule 9, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) The District Program Coordinator/Collector shall depute following persons, who have not been a part of MGNREGS implementing agency, as an Independent Observer to testify the social audit findings, namely :—

(a) Concerned Gram Panchayat's Patel (One Member);

(b) From Non-Governmental Organization (One Member);

(c) From Self-Help Group (Two members including one Woman);

(d) Retired Government Officer/Employee (One Member);

(2) In rule 10, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) "A Six member committee shall be constituted by the District Programme Coordinator/Collector to conduct Exit Conference, which shall be presided over by an officer not below the rank of Second Grade Gazetted Officer. The said Committee, shall consist of the following members, namely;

(a) Second Grade Gazetted Officer (President);

(b) From Non-Governmental Organization (One Member);

(c) From Self-Help Group (Two Members including One Woman);

(d) Sub-Divisional Officer (Technical), who is not related to the implementing agency of the related work (One Member).

(e) Second Grade retired government officer (One Member)."

(3) In rule 10, in sub-rule (3), for clause (c), the following shall be substituted, namely :—

"(c) Committee shall pass order in each case in the exit Conference by examing written evidence recorded in the Gram Sabha/Worksite Verification/household survey in relation to each deviation pointed out by Social Audit Team."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1308/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्रं./4/अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किए जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है. नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
कोण्डागांव	केशकाल	मूरगांव	03	0.218	मूरगांव नवापारा मार्ग के कि.मी. 1/6 पर लिंगधारा नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-5-18 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, खालेमुरवेंड पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मूरगांव नवापारा मार्ग के कि.मी. 1/6 पर लिंगधारा नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	चार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हाँ 0.218 हे.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	214.71 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	14 ग्रामों के जिनकी जनसंख्या 3751
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	20000/-
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोण्डागांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1309/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्रं./1/अ-82/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किए जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है. नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	गरांजीडिही	04	0.303	विश्रामपुरी - रावनागुड़ा मार्ग के कि.मी. 4/2 पर गरांजीडिही नाला पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंचमार्ग हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-5-18 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, गरांजीडिही पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	विश्रामपुरी - रावनागुड़ा मार्ग के कि.मी. 4/2 पर गरांजीडिही नाला पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंचमार्ग हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	चार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हाँ 0.303 हे.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	214.71 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	8 ग्रामों के जिनकी जनसंख्या 4338
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	20000/-
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3993/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	मोहड़, प.ह.नं. 23/ कृषकों की संख्या 09	0.635 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, बुटाकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3995/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	बुटाकसा, प.ह.नं. 23/ कृषकों की संख्या 01	0.275 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, बुटाकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परि-योजना के डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3997/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	आतरगांव, प.ह.नं. 13/ कृषकों की संख्या 01	0.121 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 26-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, आतरगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4000/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	पांगरी, प.ह.नं. 22/ कृषकों की संख्या 08	0.478 हेक्टे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के पांगरी से चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 23-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्रा.पं. भवन, पांगरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के पांगरी से चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4011/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	सिरलगढ़, प.ह.नं. 23/ कृषकों की संख्या 01	1.044 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्रा. पं. भवन, बुटाकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परि-योजना के डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4027/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी, प.ह.नं. 12/ कृषकों की संख्या 21	2.031 हेक्टे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के पांगरी से चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 16-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) तहसील कार्या., अंबागढ़ चौकी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के पांगरी से चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	21
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4028/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	मोहड़, प.ह.नं. 23/ कृषकों की संख्या 32	8.331 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, बुटाकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, बालोद के मोहड़ जलाशय परियोजना के डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 14 मार्च 2018

क्रमांक/825/19/अ-82/2016-17/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	मारागांव	0.166	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	शामपुर-रांधना मार्ग के कि.मी. 2/6 नारंगी नदी पर पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 14 मार्च 2018

क्रमांक/826/02/अ-82/2016-17/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	केरावाही	7.093	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	केरावाही जलाशय योजना बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	डोंगरीगांव प.ह.नं. 16	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	कोसमबुड़ा प.ह.नं. 21	1.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	नहरगांव प.ह.नं. 20	9.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	छिन्दौला प.ह.नं. 16	4.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	सढ़ौली प.ह.नं. 15	3.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	भेजापदर प.ह.नं. 28	1.15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	नगरनार - भेजापदर से बोरगांव मार्ग के कि.मी. 1/3 पर इन्द्रावती नदी में सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	धूता प.ह.नं. 36	20.295	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग, क्रमांक-1, खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग.	साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बेहराचुंआ प.ह.नं. 44	0.719	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	धौराभांठा प.ह.नं. 43	0.614	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	अमझर प.ह.नं. 44	0.260	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	गुड़ेली प.ह.नं. 43	0.128	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	लालधुरवा प.ह.नं. 43	1.443	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्दन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-रायगढ़ द्वारा ग्राम-ठेंगापाली, प.ह.नं.-30, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 3.153 हे. औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 14-04-2017 तथा दिनांक 07-07-2017 को कराया गया है.

चूंकि अब मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा-06 कुल रकबा-0.247 हे. भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 93(1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम -ठेंगापाली, प.ह.नं.-30

क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	281/1 ग/1	0.004	4.	281/2झ	0.069
2.	281/2 घ	0.021	5.	322/3	0.045
3.	281/2 ज	0.008	6.	327	0.100
	कुल खसरा - 06		**रकबा 0.247 हे.**		

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रागयढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	मल्दा प.ह.नं. 11	1.361	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुरंगा प.ह.नं. 33	0.178	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के तुरंगा माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सिथरा प.ह.नं. 41	0.193	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	धरमजयगढ़ - कोरबा-उरगा -हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 सरिया नाला पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	खड़गांव प.ह.नं. 41	0.338	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	धरमजयगढ़ - कोरबा- उरगा -हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 सरिया नाला पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़े हल्दी प.ह.नं. 12	2.396	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत शारदा वितरक नहर के मल्दा लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसौर प.ह.नं. 28	0.232	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के गुडु माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गुडु प.ह.नं. 28	0.908	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के गुडु माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रैबार प.ह.नं. 21	5.292	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत कारीछापर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिटईपाली प.ह.नं. 26	0.858	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत सेमीभांवर माईनर एवं शंकपाली माईनर 1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़े भण्डार प.ह.नं. 23	0.313	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत कठली वितरक एवं बालपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छोटे भण्डार प.ह.नं. 23	0.145	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बादीमाल प.ह.नं. 08	0.161	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बरबहली	0.176	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	चिर्रामुडा	0.207	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	राटरोट	0.486	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	भैंसगढ़ी	0.531	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कसडोल	0.704	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कांटाझरिया	0.020	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बड़गांव	0.624	अपर महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली.	एल.टी.पी.सी. रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	जरेकला प.ह.नं. 04	0.456	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	जरेकेला-नवापारा के मध्य पांझर नाला पर पुल एवं पहुंच निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	नवापारा प.ह.नं. 04	0.387	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	जरेकेला-नवापारा के मध्य पांझर नाला पर पुल एवं पहुंच निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़माल प.ह.नं. 30	1.003	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केलो टेल माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जून 2018

क्रमांक/8754/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरहागुड़ा, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.223
7/1	0.182
7/2	0.166
7/3	0.162
7/4	0.178
11/1	0.324
11/2	0.243
11/3	0.142
11/4	0.121
11/5	0.275
11/6	0.142
25/1	0.040
28/1	0.008
28/2	0.008
29/1	0.008
29/2	0.008
30	0.008
94, 98	0.146
96/1	0.024

(1)	(2)
96/2	0.024
97/1	0.045
97/2	0.045
99/1	0.231
99/2	0.045
100/3	0.049
100/1	0.020
100/2	0.020
100/5	0.049
100/4	0.166
103	0.081
104/1	0.210
104/2	0.121
109	0.129
110/1	0.016
115/1	0.283
115/2	0.020
116	0.020
117/1	0.105
117/2	0.101
118/1	0.324
योग 40	4.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जून 2018

क्रमांक/8758/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.691 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
120/1	0.032
120/2	0.032
120/3	0.032
120/4	0.032
120/5	0.032
123	0.113
128	0.053
124	0.223
125	0.073
136/1	0.040
137/2	0.162
139/1	0.372
141/1	0.405
126	0.069
129	0.077
136/2	0.510
139/2	0.251
140/2	0.028
140/3	0.024
146	0.142
155/2	0.069
144	0.097
149	1.412
333/1	0.049
335/2	0.093
335/4	0.101
337	0.178
336	0.121
338/1	0.093
416/1	0.057
429/1	0.040
338/2	0.093
416/3	0.053
429/3	0.040
339	0.036
396/1	1.181
397/3	0.101
397/4	0.219
397/5	0.077
416/2	0.057
417/1	0.109
417/2	0.053
421/2	0.069
417/3	0.057
418/1	0.077
418/2	0.069
156	0.146

(1)	(2)
155/1	0.348
326/4	0.162
332/4	0.858
328	0.125
332/1	0.113
332/2	0.429
332/3	0.105
335/3	0.162
418/3	0.077
419	0.146
420/1	0.162
420/2	0.316
421/1	0.069
421/3	0.069
421/4	0.069
429/2	0.032
योग 63	10.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जून 2018

क्रमांक/8760/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चन्द्रपुर, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-46.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
401/2, 407/2, 408/1	0.227
401/3, 408/2	0.202
405	0.364
406/1	0.089
406/2	0.170
407/1	0.061
407/4, 408/3	0.202
427/1	1.254
613	0.024
614	0.040
615	0.360
616/1	0.049
616/2	0.022
616/3	0.024
616/4	0.022
616/5	0.024
617/1	0.243
617/2	0.243
750/1 क	0.044
750/1 ख	0.044
750/1 ग	0.048
750/1 घ	0.044
750/1 ङ	0.048
750/2 क	0.047
750/2 ख	0.223
750/3	0.202
750/4	0.040
750/5	0.056
750/6	0.049
750/7	0.049
750/8	0.049
750/9	0.044
750/10	0.044
750/11	0.044
750/12	0.044
750/13	0.046
623, 632	0.008
625/3	0.012
626	0.235
628, 629	0.040
630/1	0.166
630/2	0.004
630/3	0.166
658	0.194
662	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
663/1	0.040	760/4 घ	0.099
663/2	0.089	760/5 क	0.085
664/1	0.066	760/5 ख	0.049
664/2	0.060	760/5 ग	0.053
664/3	0.059	760/5 घ	0.053
664/4	0.049	760/6 क	0.087
664/5	0.049	760/6 ख	0.040
664/6	0.049	760/6 ग	0.087
664/7	0.049	673	0.040
664/8	0.049	674	0.081
664/9	0.049	675/2	0.040
665	0.146	675/3	0.040
666	0.275	676	0.194
667/1, 667/2, 667/4, 667/5, 667/6	0.518	677	0.121
		678	0.190
667/3	0.101	679	0.409
668/1	0.036	680/1	0.117
668/2	0.040	680/2	0.117
668/3	0.040	681	0.162
669	0.138	682	0.275
670	0.061	683/1	0.105
671/1, 675/1	0.080	683/2	0.105
671/2, 672/2	0.040	683/3	0.101
671/3, 672/1	0.040	684	0.474
750/14	0.046	687	0.728
750/15	0.046	688/1	0.255
751	0.474	688/2	0.259
752	0.356	689	0.093
753/1	0.210	690/1	0.049
753/2	0.210	690/2	0.243
753/3	0.769	690/3	0.384
754	0.380	691/1	0.032
755/1	0.162	691/2	0.223
755/2	0.162	692	0.057
755/3	0.166	693/1	0.024
760/1 क	0.069	693/2	0.036
760/1 ख	0.045	693/3	0.231
760/2 क	0.065	694	0.150
760/2 ख	0.045	695	0.397
760/2 ग	0.049	696	0.081
760/2 घ	0.049	697/1	0.041
760/3 क	0.049	697/2	0.040
760/3 ख	0.040	698	0.061
760/3 ग	0.053	699/1	0.222
760/3 घ	0.053	760/7	0.049
760/4 क	0.087	760/8	0.040
760/4 ख	0.040	760/9 क	0.049
760/4 ग	0.053		

(1)	(2)	(1)	(2)
760/9 ख	0.049	706	0.227
760/9 ग	0.049	707	0.251
760/9 घ	0.049	709	0.109
760/9 ङ	0.049	711/1	0.304
767	0.121	711/3	0.543
768	0.466	712/1	0.089
771/1	0.053	712/2	0.045
771/2	0.029	712/3	0.044
771/3	0.057	713	0.174
771/4	0.042	714	0.498
771/5	0.042	715/1	0.101
772/1	0.910	715/2	0.121
772/4	0.198	716/1	0.174
772/6	0.506	716/2	0.089
779/1	0.146	717/1	0.032
779/3	0.101	717/3	0.028
779/4	0.069	717/4	0.057
780/1, 781/2, 785	0.352	717/5	0.089
781/1	0.405	719/1	0.061
782/1	0.049	719/2	0.061
782/2	0.299	720/1	0.038
782/3	0.040	720/4	0.060
782/4	0.040	720/5	0.049
782/5	0.040	720/6	0.049
782/6	0.040	720/7	0.049
782/7	0.040	720/8	0.038
782/8	0.049	815/2	0.073
783, 784	0.255	816/1	0.332
786	0.441	845/1	0.069
788/1	0.728	845/2	0.085
791	0.020	846	0.105
814	0.243	847	0.081
815/1	0.073	848	0.081
699/2	0.048	849	0.073
699/3	0.049	850	0.069
699/4	0.154	851	0.065
699/5	0.227	852/1	0.138
699/6	0.073	852/2	0.018
701	0.490	852/3	0.020
702/1	0.121	852/4	0.020
702/2	0.125	852/5	0.018
703/1	0.081	852/6	0.018
703/2	0.081	852/7	0.024
705/1	0.101	852/8	0.028
705/2	0.046	853/1	0.036
705/3	0.042	853/2	0.004
705/4	0.013	853/3	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
853/4	0.040	742/5	0.049
853/5	0.040	742/6	0.048
853/6	0.040	742/7	0.049
853/7	0.040	742/8	0.048
853/8	0.040	742/9	0.049
853/9	0.040	743/1	0.097
854	0.008	743/2	0.049
869	1.586	743/3	0.046
874/1	0.016	880/2	0.069
876	0.065	881	0.065
877	0.089	882	0.089
878/1	0.057	883/1	0.146
878/2	0.032	883/2	0.049
878/3	0.020	884/1	0.024
878/4	0.057	884/2	0.024
878/5	0.057	886	0.085
879/1	0.081	887	0.032
879/2	0.081	888/1	0.154
880/1	0.069	888/2	0.154
721/1	0.206	896	0.142
721/2 क	0.150	943/1, 943/2	0.421
721/2 ख	0.356	944, 945, 946/2	0.218
722/1	0.372	946/1	0.032
722/2	0.051	946/3	0.040
722/3	0.048	962/1	0.364
722/4	0.048	962/3	0.243
722/5	0.048	962/5	0.243
722/6	0.048	963/1	0.202
723/1	0.053	963/2	0.206
723/2	0.299	964/1	0.223
723/3	0.048	964/2	0.049
723/4	0.049	964/3	0.040
723/5	0.048	964/4	0.040
723/6	0.049	964/5	0.049
723/7	0.048	964/6	0.040
724	0.644	1002/1	0.255
729/1	0.210	1002/3	0.251
729/2	0.113	1003	0.016
729/3	0.417	1007/1, 1007/4	0.405
730/1	0.174	1007/2	0.061
730/2	0.231	1008/1	0.255
740/1	0.020	1008/2	0.158
741	0.587	1009/1	0.020
742/1	0.061	1009/2	0.105
742/2	0.049	743/4	0.002
742/3	0.048	744/1	0.316
742/4	0.049	744/2	0.291

(1)	(2)
745/1	0.059
745/2	0.049
745/3	0.049
745/4	0.049
745/5	0.049
746/1	0.048
746/2	0.186
746/3	0.046
746/4	0.046
746/5	0.046
1009/3	0.081
1012/1	0.113
1012/2	0.057
1012/3	0.057
1013	0.121
1014	0.008
1015	0.210
1016/2	0.660
1016/3	0.291
1016/4	0.223
1019/1	0.089
1019/2	0.121
योग 349	46.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा, बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय]

रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 5 मई 2018

नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का प्रकाशन

क्रमांकत्र01/निर्वाचन/नानितिप्र/290-92—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिकण यूनानी तथा प्रकृतिक चिकित्सा व्यवसीय अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के तहत नाम निर्देशन-पत्रों को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिक्तिसा बोर्ड, कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकत्सालय भवन, रायपुर में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 जून 2018, सायं 05 बजे तक अध्यक्ष द्वारा नियत किया गया है. नाम निर्देशन-पत्रों की जांच दिनांक 30 जून 2018 को की जावेगी.

अत: छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एतद् निदेश देता है कि नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का प्रकाशन आम लोगों को सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया जा रहा है.

टिप्पणी :—भारतीय चिकितसा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिक्त्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के प्रावधानों के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में अन्तर्विष्ट चिक्तिसा व्यवायी तृतीय बोर्ड के गठन हेतु मतदान के लिए अर्ह हैं तथा नाम निर्देशन की पात्रता रखते हैं.

बोर्ड चुनाव 2017-18 में नाम निर्देशन5पत्र की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी

1. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिक्त्साव्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) की धारा 4 की उपधारा (1) की खण्ड (ग) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तृतीय बोर्ड के गठन हेतु बोर्ड चुनाव सम्पन्न कराने की प्रक्रिया की जा रही है.

2. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्साव्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम छः के अधीन राजस्व आयुक्त संभागवार अंतिम निर्वाचक नामावलियों का छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 27 अप्रैल 2018 को प्रकाशन किया गया है. बस्तर, बिलासपवुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यालयनी समय सुबह 10.30 बजे से 05 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है.

3. निर्वाचक नामावली में अंकित चिकित्साव्यवसायी, आवेदन पत्र के साथ रु. 100/- (एक सौ रॅपया) जगद जमा कर रजिस्ट्रार कार्यालय से दिनांक 25 जून 2018 सांच 05 बजे तक नाम निर्देशन5पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

4. कोई भी चिकित्साव्यवसायी जिसका नाम किसी राजस्व आयुक्त संभाग में बोर्ड की अंतिम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो और वह व्यवसायी अधिनियम की धारा 6 के अधीन अनर्हित (अपात्र) न हुआ हो, उस राजस्व आयुक्त संभाग के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन-पत्र की पूर्ति कर सकता है.

5. प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र एक प्रस्तावक के रूप में तथा दूसरा समर्थक के रूप में दो निर्वाचक नामावलीगत निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा परंतु कोई भी निर्वाचक एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र को हस्ताक्षरित नहीं करेगा.

6. चिक्तिसा व्यवसीय द्वारा नाम निर्देशन-पत्र की सम्यक पूर्ति कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकितसा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर के पक्ष में पचास रुपये का मनीआर्डर रसीद संलग्न करते हुए बोर्ड कार्यालय में जमा किया जा सकेगा.

7. नाम निर्देशन-पत्र, दिनांक 26 जून 2018 को 12 बजे मध्यान्ह के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए. उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले नाम निर्देशन-पत्र अविधिमान्य होंगे.

8. 26 जून 2018 को मध्यान्ह 12 बजे तक कार्यालय में प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की जांच दिनांक 30 जून 2018 को की जावेगी.

9. प्रत्येक उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक तथा समर्थक नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के दौरान दिनांक 30 जून 2018 को रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित रह सकता है.

10. नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के पश्चात् सही पाये गये चिकित्साव्यवसायियों को रजास्व आयुक्त सीाागवार सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार माना जाकर नाम तथा पता छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा.

11. नाम निर्देशन-पत्रों की पूर्ति में काट-छांट होने पर वह नाम निर्देशन-पत्र अविधिमान्य होगा.

डॉ. पंतजलि दीवान,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 16 मई 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक/904/नग्रानि/वि.यो./2018.—सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.) की अधिसूचना क्रमांक 137 दिनांक 24-01-2017 जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र के भाग 1 पृष्ठ 728 में दिनांक 28 अप्रैल 2017 को प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसूची में ग्राम का नाम झगराखण्ड, परसागारही मुद्रित हो गया है. जिसे सुधार करते हुए झगराखाण्ड, परसागढी पढ़ा जावे. इसी प्रकार अंग्रेजी की अनुसूची में ग्राम Jhagrakhand, Parsagarhi पढ़ा जावे.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 2 जून 2018

क्रमांक/964/ELU/नग्रानि/2018.— एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि शिवपुर-चरचा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टार को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्ट्रेट बैकुण्ठपुर, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर तथा नगर पालिका परिषद्, शिवपुर-चरचा में दिनांक 20-06-2018 में कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

शिवपुर-चरचा, निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

शिवपुर-चरचा, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम शिवपुर, चरचा, खरवत, छरछा एवं सीतापुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सीतापुर, रकेया, दुधनिया, उदुमदुगा एवं आनी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम आनी, छिंदडांड, आमगांव, सरडी, शिवपुर एवं बिशुनपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बिशुनपुर एवं शिवपुर पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टार के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

No./964/ELU/T&CP/2018.—Notice is hereby given that the existing land use map for Shivpur Charcha Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 20-06-2018 during office hours in the office of Collectorate Baikunthpur, Korea, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Baikunthpur and Nagar Palika Parishad Shivpur-Charcha.

The limit of Shivpur-Charcha Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits Shivpur-Charcha Planning Area

NORTH	:	Village Shivpur, Charcha, Kharwat, Chharchha and Sitapur Northern limits of Villages.
EAST	:	Village Sitapur, Rakya, Dudhaniya, Udumdunga and Ani Eastern limits of Villages.
SOUTH	:	Village Ani, Chhinddand, Amgaon, Sardi, Shivpur and Vishunpur, Southern limit of Villages.
WEST	:	Village Bishunpur and Shivpur Western limits of villages.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writting to the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Baikunthpur, District-Korea Chhattisgarh, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Baikunthpur, District-Korea (C.G.).

के. एस. कंवर,
सहायक संचालक.